



प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत

“भागीदारी में किफायती आवास” हेतु डिमान्ड सर्वे

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 26.09.2017 के अनुपालन में सूडा/डूडा द्वारा चिन्हित “भागीदारी में किफायती आवास” घटक के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को अवगत कराया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित भवनों में रू0 2.50 लाख की सब्सिडी भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। सब्सिडी के अतिरिक्त उपरोक्त पात्र व्यक्तियों को प्रत्येक भवन हेतु रू0 2.00 लाख जमा करना होगा, जिसके अनुसार भवन के मूल्य पर नियमानुसार जी0एस0टी0 भी चयनित पात्र व्यक्ति द्वारा देय होगी।

अतः सूडा/डूडा द्वारा चिन्हित पात्र व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की **अवध विहार योजना**, सुल्तानपुर रोड अथवा **वृन्दावन योजना**, रायबरेली रोड, लखनऊ में भवन लेने के इच्छुक हों, तो परिषद के कार्यालय, सम्पत्ति प्रबन्धक, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ में दिनांक 14.10.2017 तक अपना आवेदन पत्र निम्नलिखित अभिलेखों के साथ जमा करने का कष्ट करें।

- डूडा/सूडा में आवेदित/ऑन लाइन प्रार्थना-पत्र की स्व-सत्यापित छायाप्रति।
- आधार कार्ड की स्व-सत्यापित छाया प्रति।
- किस योजना में भवन क्रय करने के इच्छुक हैं, की सूचना के साथ हस्ताक्षरित सहमति पत्र कलर फोटो सहित।

आवास आयुक्त